

अनुदान संख्या 25 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 25 - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	111549,37,00		
		111549,40,00	96890,11,74	-14659,28,26
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			14621,33,57

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

1. In the grant savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	2283595.00		
पू.	S.	2.00	1382355.05	1378562.47
पु.	R.	-901241.95		-3792.58
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	589537.00		
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-589538.00		..

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 8092950.00	8216374.13	8216374.16	+0.03
पु.	R. 123424.13			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O. 185355.00	90866.61	90866.61	..
पु.	R. -94488.39			

(I) इकतालीस शीर्षों के अंतर्गत ₹1814716.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹1812828.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:

(का) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "प्राथमिक शिक्षा - निर्देशन और प्रशासन" -

(i) "अनुकरणीय" - ₹1738.00 लाख - विज्ञापन के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और मितव्ययिता उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1814716.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023) remained wholly unutilized under forty one heads; of these ₹1812828.00 lakhs accounted for under following major heads:

(A) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education- Direction and Administration" -

(i) "Exemplar" - ₹1738.00 lakhs - due to non-receipt of proposals towards advertisement, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) “परिणामों में सुधार लने के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (ए एस पी ए आई आर ई)” – ₹4000.00 लाख – योजना प्रचालित नहीं होने के कारण।</p> | <p>(ii) “Accelerating State Education Program to Improve Results (ASPIRE)” - ₹4000.00 lakhs- due to non-operationalization of Scheme.</p> |
| <p>(ख) “माध्यमिक शिक्षा – आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोश (एम यू एस के) को अंतरित किए जाने के लिए निधियां” – ₹1010001.00 लाख – लेखाकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।</p> | <p>(b) “Secondary Education -Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK)” - ₹1010001.00 lakhs - due to late finalization of accounting procedure.</p> |
| <p>(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –</p> | <p>(B) Major Head “2552” -</p> |
| <p>(क) “माध्यमिक शिक्षा – गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता” –</p> | <p>(a) “Secondary Education- Assistance to Non-Government Secondary Schools” -</p> |
| <p>(i) “स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान” – ₹47500.25 लाख;</p> | <p>(i) “Grants to Autonomous Bodies” - ₹47500.25 lakhs;</p> |
| <p>(ii) “समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा” – ₹49691.00 लाख;</p> | <p>(ii) “Samagra Shiksha - Secondary Education” - ₹49691.00 lakhs;</p> |
| <p>(ख) “प्राथमिक शिक्षा – अन्य व्यय” –</p> | <p>(b) “Elementary Education - Other Expenditure” -</p> |
| <p>(i) “समग्र शिक्षा” – ₹181049.00 लाख; और</p> | <p>(i) “Samagra Shiksha” - ₹181049.00 lakhs; and</p> |
| <p>(ii) “अनुकरणीय” – ₹12385.00 लाख।</p> | <p>(ii) “Exemplar” - ₹12385.00 lakhs.</p> |
| <p>उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।</p> | <p>Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.</p> |
| <p>(iii) “प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम – पोषण)” – ₹56155.05 लाख; और</p> | <p>(iii) “Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)” - ₹56155.05 lakhs; and</p> |

(iv) “परिणामों में सुधार लने के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (ए एस पी ए आई आर ई)” – ₹5200.00 लाख;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना प्रचालित नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ग) “प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – नया भारत साक्षरता कार्यक्रम” – ₹916.00 लाख;

(घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(i) “अनुकरणीय” – ₹3590.00 लाख;

(ii) “परिणामों में सुधार लने के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (ए एस पी ए आई आर ई)” – ₹1000.00 लाख;

(iii) “प्राथमिक शिक्षा – अन्य व्यय” – ₹12050.05 लाख;

(iv) “स्वायत्त शासी निकायों को अनुदान” – ₹11400.30 लाख;

(v) “समग्र शिक्षा” – ₹36233.00 लाख;

(ङ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

(i) “अनुकरणीय” – ₹1975.00 लाख;

(ii) “प्राथमिक शिक्षा – अन्य व्यय” – ₹31200.05 लाख;

(iii) “स्वायत्त शासी निकायों को अनुदान” – ₹6000.30 लाख;

(iv) “समग्र शिक्षा” – ₹131188.00 लाख;

(iv) “Accelerating State Education Program to Improve Results (ASPIRE)” - ₹5200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-operationalization of the scheme.

(c) “Adult Education - Other Adult Education Programme - New India Literacy Programme” - ₹916.00 lakhs;

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “Exemplar” - ₹3590.00 lakhs;

(ii) “Accelerating State Education Program to Improve Results (ASPIRE)” - ₹1000.00 lakhs;

(iii) “Elementary Education - Other Expenditure” - ₹12050.05 lakhs;

(iv) “Grants to Autonomous Bodies” - ₹11400.30 lakhs;

(v) “Samagra Shiksha” - ₹36233.00 lakhs;

(e) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “Exemplar” - ₹1975.00 lakhs;

(ii) “Elementary Education- Other Expenditure” - ₹31200.05 lakhs;

(iii) “Grants to Autonomous Bodies” - ₹6000.30 lakhs;

(iv) “Samagra Shiksha” - ₹131188.00 lakhs;

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(v) “परिणामों में सुधार लने के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (ए एस पी ए आई आर ई)” – ₹1000.00 लाख – योजना का संचालन नहीं होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” –

(क) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा” –

(i) “अनुकरणीय” – ₹106515.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(ii) “परिणामों में सुधार लने के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (ए एस पी ए आई आर ई)” – ₹17000.00 लाख; और

(ख) “विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – परिणामों में सुधार लने के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (ए एस पी ए आई आर ई)” – ₹16500.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना संचालित नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(i) “अनुकरणीय” – ₹30874.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(v) “Accelerating State Education Program to Improve Results (ASPIRE)” - ₹1000.00 lakhs - due to non-operationalisation of the scheme.

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Central Assistance/Share” -

(i) “Exemplar” - ₹106515.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) “Accelerating Stage Education Program to Improve Results (ASPIRE)” - ₹17000.00 lakhs; and

(b) “Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Accelerating Stage Education Program to Improve Results (ASPIRE)” - ₹16500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-operationalization of the Scheme.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “Exemplar” - ₹30874.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) “परिणामों में सुधार लने के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (ए एस पी ए आई आर ई)” – ₹9500.00 लाख; और

(ii) “Accelerating Stage Education Program to Improve Results (ASPIRE)” - ₹9500.00 lakhs; and

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

(d) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “परिणामों में सुधार लने के लिए राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना (ए एस पी ए आई आर ई)” – ₹5800.00 लाख।

(i) “Accelerating Stage Education Program to Improve Results (ASPIRE)” - ₹5800.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना संचालित नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-operationalization of the Scheme

(ii) “अनुकरणीय” – ₹16980.00 लाख;

(ii) “Exemplar” - ₹16980.00 lakhs;

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” –

(D) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(क) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – अनुकरणीय” – ₹3715.00 लाख;

(a) “Central Assistance/Share - Exemplar” - ₹3715.00 lakhs;

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुकरणीय” – ₹1077.00 लाख; और

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Exemplar” - ₹1077.00 lakhs; and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – अनुकरणीय” – ₹595.00 लाख।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Exemplar” - ₹595.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(II) Under Major Head “2202” - savings occurred under the following heads:

(का) “प्राथमिक शिक्षा” –

(A) “Elementary Education” -

(क) “निर्देशन और प्रशासन – राज्यों के लिए शिक्षण – शिक्षा और परिणाम (एस टी ए आर एस) को सुदृढ़ करना” – ₹3791.58 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और

(a) “Direction and Administration - Strengthening Teaching-learning and Results for States (STARS)” - saving of ₹3791.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to

मितव्ययिता उपाय करने के कारण हुई।

receipt of less proposals towards advertisement and economy measures

(ख) “प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम – पोषण) – राष्ट्रीय घटक” – ₹700.50 लाख की बचत (₹1303.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और मितव्ययिता उपाय करने के कारण हुई।

(b) “Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan) - National Component” - saving of ₹700.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1303.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards advertisement and economy measures.

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – समग्र शिक्षा” – ₹523.17 लाख की बचत (₹1691.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Samagra Shiksha” - saving of ₹523.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1691.00 lakhs);

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – समग्र शिक्षा” – ₹1797.45 लाख की बचत (₹4251.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(d) “Tribal Area Sub-Plan - Samagra Shiksha” - saving of ₹1797.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4251.00 lakhs); and

(खा) “माध्यमिक शिक्षा” –

(B) “Secondary Education” -

(क) “छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां” – ₹616.92 लाख की बचत (₹24600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) “Scholarships - Scholarships” - saving of ₹616.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24600.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों में बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “अनुसंधान और प्रशिक्षण – स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान” – ₹10973.33 लाख की बचत (₹50800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन सी ई आर टी द्वारा वेतन और एल टी सी के लिए कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) “Research and Training - Grant to Autonomous Bodies” - saving of ₹10973.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, LTC by NCERT and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) “समग्र शिक्षा – समग्र शिक्षा” – ₹1214.65 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित कुल ₹4907.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य

(c) “Samagra Shiksha - Samagra Shiksha” - saving of ₹1214.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4907.10 lakhs including token supplementary grant of

क्षेत्रों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

₹0.10 lakh obtained in December, 2022) was due to less receipt of viable proposals from Union Territories and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – छात्रवृत्तियाँ” – ₹1431.36 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Scholarships” - saving of ₹1431.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ङ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – छात्रवृत्तियाँ” – ₹1902.20 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(e) “Tribal Area Sub-Plan - Scholarships” - saving of ₹1902.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) “प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – नया भारत साक्षरता कार्यक्रम” – ₹1312.81 लाख की बचत (₹2531.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन के कम प्रस्ताव प्राप्त होने, संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और मितव्यता उपाय करने के कारण हुई।

(C) “Adult Education - Other Adult Education Programmes - New India Literacy Programme” - saving of ₹1312.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2531.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards advertisement, less receipt of proposal from Union Territories and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:

(का) “केंद्रीय सहायता/ हिस्सा” –

(A) “Central Assistance/ Share” -

(क) “समग्र शिक्षा – प्राथमिक शिक्षा” – ₹61446.99 लाख की बचत (₹1831427.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) “Samagra Shiksha - Elementary Education” - saving of ₹61446.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1831427.00 lakhs) due to less receipt of viable proposals from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “नया भारत साक्षरता कार्यक्रम” – ₹1468.59 लाख की बचत (₹5808.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) “New India Literacy Programme” - saving of ₹1468.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5808.00 lakhs); and

(खा) “केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं – केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राज्यों के लिए शिक्षण – अधिगम और परिणामों का सुदृढीकरण (एस टी ए आर एस)” – ₹2133.02 लाख की बचत (₹19300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) “Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Strengthening Teaching-learning And Results for States (STARS)” - saving of ₹2133.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(क) “समग्र शिक्षा – प्राथमिक शिक्षा” – ₹41045.64 लाख की बचत (₹584057.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) “Samagra Shiksha - Elementary Education” - saving of ₹41045.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹584057.00 lakhs);

(ख) “समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा” – ₹18194.40 लाख की बचत (₹111373.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) “Samagra Shiksha - Secondary Education” - saving of ₹18194.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111373.00 lakhs); and

(घा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढीकरण (एस टी ए आर एस)” – ₹2170.13 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) “Tribal Area Sub-Plan - Strengthening Teaching-learning And Results for States (STARS)” - saving of ₹2170.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:

(IV) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा” –

(A) “Central Assistance/Share” -

- (क) “समग्र शिक्षा – प्राथमिक शिक्षा” – ₹40767.17 लाख की बचत (₹78132.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा” – ₹23347.48 लाख की बचत (₹33357.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
- (खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –
- (क) “समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा” – ₹3939.96 लाख की बचत (₹7071.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) “समग्र शिक्षा – प्राथमिक शिक्षा” – ₹7000.00 लाख की बचत (₹12694.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –
- (क) “समग्र शिक्षा – प्राथमिक शिक्षा” – ₹13285.95 लाख की बचत (₹15615.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा” – ₹3094.82 लाख की बचत (₹4785.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (a) “Samagra Shiksha - Elementary Education” - saving of ₹40767.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78132.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (b) “Samagra Shiksha - Secondary Education” - saving of ₹23347.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33357.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the Union Territories.
- (B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (a) “Samagra Shiksha - Secondary Education” - saving of ₹3939.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7071.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.
- (b) “Samagra Shiksha - Elementary Education” - saving of ₹7000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12694.00 lakhs); and
- (C) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (a) “Samagra Shiksha - Elementary Education” - saving of ₹13285.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15615.00 lakhs).
- Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (b) “Samagra Shiksha - Secondary Education” - saving of ₹3094.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4785.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹794.11 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का क्रमशः 12 प्रतिशत और 25 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रस्ताव बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹483152.30 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2022 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अधीन ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” -

(क) “प्राथमिक शिक्षा - समग्र शिक्षा - समग्र शिक्षा” - ₹16558.03 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹16556.57 लाख था।

(ख) “माध्यमिक शिक्षा” -

(i) “गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता - स्वायत्त शासी निकायों को अनुदान” - ₹91773.70 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय, ₹90927.97 लाख था।

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - स्वायत्त शासी निकायों को अनुदान” - ₹21275.85 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय, ₹18691.73 लाख था।

(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - स्वायत्त शासी निकायों को अनुदान” - ₹10840.85 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹10734.99 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” -

(क) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा - प्रधानमंत्री पोषण

(V) Under two heads savings of ₹794.11 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent and 25 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹483152.30 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2022 under the following major heads :-

(A) Major Head “2202” -

(a) “Elementary Education - Samagra Shiksha - Samagra Shiksha” - ₹16558.03 lakhs. Actual excess, however, was ₹16556.57 lakhs.

(b) “Secondary Education” -

(i) “Assistance to Non-Govt. Secondary Schools - Grants to Autonomous Bodies” - ₹91773.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹90927.97 lakhs.

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants to Autonomous Bodies” - ₹21275.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹18691.73 lakhs.

(iii) “Tribal Area Sub-Plan - Grants to Autonomous Bodies” - ₹10840.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹10734.99 lakhs.

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri

शक्ति निर्माण (पी एम पोषण)” – ₹240427.12 लाख।

Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)” - ₹240427.12 lakhs.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम – पोषण)” – ₹49376.14 लाख।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)” - ₹49376.14 lakhs.

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)” – ₹52900.61 लाख।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)” - ₹52900.61 lakhs.

II. बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं” –

(A) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा” – ₹37009.56 लाख का अधिक व्यय (₹356747.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाना पकाने की लागत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(a) “Central Assistance/Share - Samagra Shiksha - Secondary Education” - excess of ₹37009.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹356747.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards cost of cooking and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(b) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “समग्र शिक्षा – प्राथमिक शिक्षा” – ₹67483.97 लाख का अधिक व्यय (₹212185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(i) “Samagra Shiksha - Elementary Education” - excess of ₹67483.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹212185.00 lakhs); and

(ii) “समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा” – ₹6121.63 लाख का अधिक व्यय (₹44239.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ii) “Samagra Shiksha - Secondary Education” - excess of ₹6121.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44239.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552”

लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)” – ₹2323.04 लाख का अधिक व्यय (₹25020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाना पकाने की लागत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

3- प्रारंभिक शिक्षा कोष

उपलब्ध योजना संसाधनों और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता के बीच अंतर को पाटने के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के तहत कारपोरेट कर अनुषंगी लाभ कर से इतर आय, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर आदि पर 2 प्रतिशत की दर से कारपोरेट कर लगाया गया।

नवंबर, 2005 में पूर्ववर्ती प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक गैर व्ययगत कोष बनाया था।

“समग्र शिक्षा अभियान” और “मध्याह्न भोजन योजना” पर होने वाले व्यय के लिए शिक्षा/उपकर की सभी प्राप्तियों को इस प्राथमिक शिक्षा कोष में जमा किया जायेगा। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर किया गया व्यय प्रारंभ में सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) से किया जायेगा। योजना आवंटन घटक और इन योजनाओं पर व्यय केवल जी बी एस की राशि समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से किया जायेगा।

2% शिक्षा उपकर की आनुमानित प्राप्तियों के मद्दे प्रारंभिक शिक्षा कोष में प्रारंभ में अंतरण के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में ₹38,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। चिह्नित राशि समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन (पी एम पोषण) से संबंधित योजनाओं पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से वसूल की जाने वाली राशि के लिए

to functional heads for utilization on the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share - Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)” - excess of ₹2323.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25020.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards cost of cooking.

3. Prarambhik Shiksha Kosh

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalization of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes “Samagra Shiksha Abhiyan” and “Mid-Day Meal Scheme” Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

A provision of ₹38,000 crores was made in the Union Budget 2022-23 for initial transfer to Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2022-23 for amount to be recouped from Prarambhik Shiksha Kosh in respect of expenditure

बजट प्राकलन 2022-23 में उपलब्ध कराई गई थी।

incurred on the schemes relating to Samagra Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal (PM Poshan).

2022-23 के वर्ष के लिए इस निधि का लेखा निम्न अनुसार है:

The Account of the Fund for the year 2022-23 was as follows:

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	2242,89,63
प्राप्तियां	Receipt	3800,00,00
अदायगियां	Payments	3800,00,00
अंतशेष	Closing Balance	2242,89,63
